पश्चिमी
उत्तर प्रदेश
5 राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। शनिवार • 23 मई • 2020

समय मोके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया किया गया। रेलवे स्टेशन और रोडवेज बसों को सेनिटाइज कराया गया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के साथ श्रमिकों को बसों में सवार कर उनके गृह जनपद ओर गंतव्य को रवाना करने में जुटे रहे।

चार क्वारंटाइन केंद्रों में 212 प्रवासी मजदूर

डिबाई। गुजरात, दिल्ली, एनसीआर व तमिलनाडु से आये 212 प्रवासियों को डिबाई तहसील में बने 4 क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। उनकी जांच व रैन्डम सैम्पल भी होंगे।

अधिवक्ताओं का किया स्वास्थ्य परीक्षण

अमरोहा। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण लगभग दो माह से बंद पड़ी कचहरी खुली लेकिन महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं हुआ। साथ ही संक्रमण से बचाव हेतु अधिवक्ताओं के चेंबर पर सेनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। गौरतलब है कि गत 24 मार्च के बाद कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉक डाउन लागू किए जाने से पूरा देश बंद हो गया था। कहीं भी कोई कार्य नहीं

सरकारों द्वारा नहीं की गई। कई करोड़ लोग अपना रो संकट गंभीर होता जा रहा है। काफी समय तक मजदूर इंतजाम नहीं किया गया तो मजदूर सड़कों पर ही पैदल में सरकार सार्वजनिक एवं सरकारी घरानों को लाभ प रही है।सारे पूंजीपरस्त बदलाव इस आपदा के दौर प्रदर्शन करने वालों में राजेश जैन, ओमप्रकाश, राकेश आरती शामिल थे।

हत्या में पत्नी, बेटी

सहारनपुर (वार्ता)। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उसके च ने शुक्रवार को यहां बताया कि बिलासपुर में गत मंगल थी। इस मामले में उसकी पत्नी ममता, बेटे अक्षय, सा के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्होंने ब था। उसकी पत्नी तांत्रिकों के चक्कर में रहती थी। कु दे दी थी और आधी अपने पास रख ली थी। इस बात से चैधरी की गला दबा कर हत्या कर दी।

दुष्कर्म पीड़िता ने पूर्व म बदलने के लिए दबाव

आगरा (एसएनबी)। लॉकडाउन में पूर्व मंत्री राजा पक्षालिका सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल उन मनौना गांव पहुंचकर बलात्कार पीड़िता के परिवार पर स पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने पर ब सामने आया है। बाद में कई थानों की फोर्स मौके पर पह टम्टा को भी मौके पर बुला लिया।

गौरतलब है कि 13 मई की रात एक नाबालिग यु

आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सूचना मैसर्स एसबीजे एक्सपोर्टस् एण्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि.
(CIN: U29305DL2012PTC241468) (कम्पनी परिसमापन में)
(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत बिक्री)
कॉरपोरेट देनदार की आस्तियों को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है

	आस्तियों का विवरण जोकि खाता / खतौनी नं. 277 मिन / 364 मिन खसरा नं. 69/4, मौज़ा मोगीनंद, तहसील नाहान जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) में स्थित	आरक्षित मूल्य (रु. करोड में)	जमा धरोहर राशि (रु. करोड में)
समेकित लॉट	भूमि एवं भवन एवं प्लांट और मशीनरी जिसमें सभी फर्नीचर्स, फिक्चर्स, उपकरण और स्टॉक शामिल हैं	3.58	0.36

ई-नीलामी की तिथि : 09.06.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपर्वा. 02.00 बजे तक,
आवेदन करने की अंतिम तिथि 06.06.2020 को सायं 05.00 बजे तक
विस्तृत शर्तों हेतु: www.arck.in; https://ncltauction.auctiontiger.net देखें।
सम्पर्क : श्री चंचल दुआ, 9958990842/9582147863, 011-45101111
पंजी. ईमेल : chanchalduaco@gmail.com
पत्राचार ई-मेल : insolvency@arck.in
चंचल दुआ
परिसमापक – मैसर्स एसबीजे एक्सपोर्टस् एण्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि.
आईबीबीआई पंजी. नं. IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-18/10821
पंजीकृत पता : 1-ए/85-ए, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015
कार्यालय पता: 409, अंचल भवन, 18 के जी मार्ग, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.05.2020

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8 (1)
अधोहस्ताक्षरी ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस के नाम से ज्ञात) (आईआईएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में उक्त राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में सव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और इसके संबंध में कोई भी सव्यवहार आईआईएचएफएल की बकाया राशि और उस पर ब्याज के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, यदि कर्जदार "आईआईएचएफएल" की बकाया राशि वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्यवहार, बिक्री या अंतरण की नियत तिथि से पहले किसी भी समय चुकता कर देता है, तो "आईआईएचएफएल" द्वारा प्रत्याभूत आस्ति बेची या अंतरित नहीं की जाएगी तथा "आईआईएचएफएल" द्वारा आस्ति की बिक्री या अंतरण के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

र (रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	कुल बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
ली शाखा – रीरूपति बालाजी मिक्स प्रा. लि.	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : रोहिणी आजादीन रजीम रोहिणी	रु	10/02/2020	19/05/2020